

# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/120/2022

अपीलांत मांगीलाल पुत्र बांकाराम  
निवासी आजाद नगर चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामसर

आदेश

दिनांक : 15.11.2022

अपीलार्थी मांगीलाल पुत्र बांकाराम निवासी आजाद नगर चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी रामसर के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 20.10.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की ऑनलाईन प्रति दिनांक 12.09.2022 की प्रति संलग्न की गई है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामसर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोंडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में विष्टियां अंकित नहीं की गई हैं और इस संबंध में अपीलार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक 2845 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा अवगत भी करवाया जा चुका है। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील, रेस्पोंडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा जारी पत्राचार का अवलोकन किया। अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना विस्तृत एवं अस्पष्ट है। अतः रेस्पोंडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर निरक्षण उपरान्त वांछित सूचना की विष्टियां अंकित करते हुए नये सिरे से आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जा सकेगी। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 15.11.2022 को न्यायालय में सुनाया गया।



प्रथम अपील प्राधिकारी  
जिला कलक्टर बाड़मेर